न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :—श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—203/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024/203

अपीलाण्ट :—

1. दलु रावत पुत्री स्वः पालाजी पत्नि रावत मूलजी/जाति मीणा निवासी पावटा तहसील आहोर जिला जालोर हाल गांव बलाना तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

2. खुभीदेवी पुत्री स्वः पालाजी पत्नि स्वः सखारामजी निवासी हाल पांचोटा तहसील आहोर जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :—

1.सरपंच ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पावटा लागत तहसील आहोर जिला जालोर

2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

3. स्वः धनाराम पुत्र पालाजी के वारिसानः—

3/1 नर्मदादेवी पत्नि स्वः धनारामजी

3/2 करणकुमार पुत्र धनारामजी

3/3 नरेशकुमार पुत्र धनारामजी

3/4 लक्ष्मी पुत्री धनारामजी

3/5 दिव्याकुमारी पुत्री धनारामजी

समस्त जातिगण मीणा निवासीगण पावटा तहसील आहोर जिला जालोर (रस्पोडेण्ट संख्या 3/2 से 3/5 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता रेस्पोडेण्ट संख्या 3/1)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 (विरुद्ध आदेश दिनांक 18/01/2024 राजस्व अपील संख्या 17/2021 अनवान दलु वगैरा बनाम सरपंच वगैरा मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर

उपस्थिति :—

1. श्री सुमेरसिह राजपुरोहित, श्री घनश्यामसिह, श्री धिरेन्द्रसिह, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री चेतन आगरी, विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. सं.3 के का. मु.।

:: निर्णय ::

दिनांकः— 29.10.24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर, प्रकरण संख्या 17/2021 बअनवान दलु रावत बनाम सरपंच वगैरा

29/10/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

निर्णय दिनांक 18.01.2024 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अपीलाण्टस् द्वारा प्रथम म्यूटेशन अपील अधिन न्यायालय मे म्यूटेशन संख्या 50 दिनांक 09/05/1990 के विरुद्ध इस आशय की पेश की थी कि ग्राम पावटा के खसरा नम्बर 19 रकबा 2.23 हैक्टर भूमि अपीलाण्टस् व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 धनाराम के पिताजी पालाजी के खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। पालाजी की मृत्यु के समय विधिक वारिसान अपीलाण्टस् जीवित थी फिर भी केवल मात्र रेस्पोडेण्ट संख्या 3 का नाम दर्ज किया तथा अपीलाण्टस् पुत्रियो का नाम दर्ज नही किया जबकि अपीलाण्टस् प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा अपीलाण्टस् की जाति मे पुत्रियो को विरासत मे हिस्सा दिये जाने की रूढी, प्रथा व रिवाज है। फिर भी केवल पुत्र के नाम म्यूटेशन दर्ज किया जो अवैध व शून्य है। भूमि पर शामलात कब्जा काश्त है।

उक्त अपील अधिन न्यायालय द्वारा दर्ज की गई तथा रेस्पोडेण्टस् को जरिये समन तलब किया गया एवं अन्तरिम स्थगन आदेश भी दिनांक 21/09/2021 को पारित किया गया जो आगामी पेशियो मे बढाया गया। तत्पश्चात धारा 5 मयाद आवेदन पर बहस सुनकर अपील मयाद बाहर होने के आधार पर खारिज कर दी जिससे प्रिज्युडिस होकर उपरोक्त अपील पेश की जा रही है। अधीन न्यायालयो द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधि व तथ्यो की भारी भूल की है इसलिए अपील प्रथम दृष्टिया सफल योग्य है।

अपीलाण्टस् मृतक की पुत्रियो होना निर्विवाद है तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन म्यूटशेन पारित करने से पूर्व अपीलाण्टस् को कोई नोटिस नही दिया तथा सुनवाई का कोई मौका नही दिया। अपीलाधीन म्यूटेशन अपीलाण्टस् की पीठ के पीछे पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने से प्रथमदृष्टिया ही निरस्त योग्य है तथा ऐसे एकपक्षीय मामलो मे मयाद कानून लागू ही नही होता है।

अपीलाण्टस् मृतक की प्रथमश्रेणी की वारिसान है तथा अपीलाण्टस् के समाज मे पिता की सम्पति मे पुत्र/पुत्रियो को बराबर हक हिस्सा दिये जाने की रूढी, प्रथा एवं रिवाज है एवं पुत्रीयो का अधिकार कभी भी समाप्त नही हो सकता है इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत 2013(2)आरआरटी पेज 1284 पेश किये। फिर भी अपीलाण्टस् को अपने हक, हकूक अधिकारो से वंचित करने के लिए एकपक्षीय म्यूटेशन पारित कर दिया जो अवैध व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

शून्यव्रत है जिस सम्बन्ध में मयाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है।

प्रकरण मे अधिन न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मे धारा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन को खारिज करने बाबत न तो कारण दर्शित किये है, न ही कोई फाईन्डिग दी है। सरसरी तौर से ही केवल 32 वर्ष पश्चात अपील पेश करने को आधार मानकर अपील मयाद बिन्दु पर खारिज करने मे भारी विधिक भूल की है क्योकि अवैध व शून्यव्रत आदेश को कभी भी चुनौति दी जा सकती है, इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत 1998 आरआरडी पेज सं. 319, 2008(2)आरआरटी पेज 1183, 2002(1)आरआरटी पेज स. 648, 2022(1)आरआरटी पेज सं. 493 पेश किये। ऐसे प्रकरणो मे मयाद कानून आडे नही आता है तथा मयाद के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विरासत मे प्राप्त अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है इस कारण भी अपील स्वीकार योग्य है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अनेकानेक निर्णयो मे यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी प्रकरण को मयाद बिन्दु पर निर्णित कर खारिज करने से पूर्व प्रकरण का मेरिट पर परिक्षण करना आज्ञापक है तथा प्रकरण मेरिट पर ठोस एवं सफल योग्य हो तो मयाद इत्यादि तकनीकी बिन्दु पर प्रकरण निर्णित अर्थात खारिज नही कर मेरिट पर ही निर्णित किया जाना चाहिए। उपरोक्तानुसार भी अपील स्वीकार योग्य थी फिर भी तकनीकी आधार पर बिना कारण दर्ज किये ही खारिज कर विधि की भारी भूल की है।

प्रकरण का मेरिट पर परीक्षण किया जाता एवं मेरिट पर सुना जाता तो अपील मेरिट पर स्वीकार योग्य थी क्योकि अपील मे वर्णित भूमि मृतक पालाजी के खातेदारी की थी। अपीलाण्टस् एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 मृतक के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। जैर अपील म्यूटेशन बिना अपीलाण्टस् को सुनवाई का अवसर दिये ही पारित किया है जो अवैध व शून्यव्रत है। फौतेदगी म्यूटेशन मे प्रथमश्रेणी के वारिसान का नाम दर्ज नही करने से वारिसान का हक अधिकार समाप्त नही होता है तथा ऐसे एकपक्षीय आदेश को कभी भी चुनौति दी जा सकती है इसमे Length of delay is not fatal के आधार पर भी अपील अन्दर मयाद शुमार किया जाना था इसलिए भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अनुसुचित जन जाति में रूढि व कस्टम (पुराने हिन्दु) कानुन अनुसार जीवन पद्धति से जीवन जीत है वहां पर अनुसुचित जन जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधीनियम के प्रावधान लागू होगे तथा famale (पुत्री, पत्नी) को पुत्र, पति के बराबर हक मिलेगा। इस संबध में न्यायिक दृष्टांत सुपरीम कोर्ट 2000(8)एसएससी पेज 587, एआईआर 1996 एससी 1864 पेरा 18,33,41,42, आरआरडी 2014 पेज 213(ए) पैरा 11 पेश किया ।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमावे तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18/01/2024 को तथा ग्राम पंचायत पावटा तहसील आहोर द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 50 दिनांक 09/05/1990 को निरस्त फरमावे तथा अपील मे वर्णित भूमि मे अपीलाण्टस् का 2/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने बाबत आदेश पारित फरमावे।

29.10.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि –

अपीलार्थीगण द्वारा सरहद मौजा ग्राम–पावटा, तहसील–आहोर, जिला–जालोर के नामान्तरणकरण संख्या 50 स्वीकृत दिनांक 09.05.1990 एवम् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, आहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2024 के विरूद्ध श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है। उक्त अपील विधिनुसार म्याद बाहर पेश की गई है, जो करीब अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.01.2024 से करीब 04 माह पश्चात् पेश की गई है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् उनकी उपस्थिति में आदेश किया गया था। ऐसी स्थिति में नियत अवधि में अपील पेश नहीं करने का कोई संतोषजनक कारण अपीलार्थीगण के म्याद प्रार्थना–पत्र में वर्णित नहीं है। इस तरह धारा 05 में दिये गये तथ्य पूर्णतया गलत व झूठे अंकित किये गये है जिनके सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है।

अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, आहोर में प्रथम अपील नामान्तरण संख्या 50 की स्वीकृति के समय करीब 32 वर्ष पश्चात् काफी देरिन्दा पेश की हुई है। जो रेस्पोडेण्ट संख्या 03 धन्नाराम के फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत होने के पश्चात् केवल मात्र रेस्पोडेण्ट को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई है। समय करीब 32 वर्ष की अवधि के दौरान अपीलार्थीगण अपने पीहर आती–जाती रही। उक्त नामान्तरण के सम्बन्ध में उनको भलीभांति पूर्व से ही जानकारी रही है। परन्तु लोगों की सिखावट में आकर वर्तमान समय में भूमियों की लागत बढ़ने से लोभ लालच के रहते अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई थी। जो अपील काफी देरिन्दा म्याद बाहर पेश की जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा म्याद बाहर होने से म्याद के बिन्दु पर ही खारिज की है। ऐसी स्थिति में यह अपील भी श्रीमान् के यहाँ प्रथम दृष्टया ही म्याद बिन्दु पर खारिज करने योग्य है।

अपीलार्थीगण द्वारा पेश की गई प्रथम व द्वितीय अपील कानून अनुसार विधि से वर्जित होने के चलते पेश की गई है। क्योंकि प्रथम अपील में अपीलार्थीगण द्वारा जो प्लीडिंग्स ली गई है वो हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत विरासत का नामान्तरण अपने नाम दर्ज नहीं करने एवम् उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 08 के तहत बहिस्सा बराबर का मृतक की सम्पत्ति में मानते हुये अपने नाम नामान्तरण में दर्ज करवाने की मांग की गई थी। जबकि अपीलार्थीगण मीणा समुदाय / जाति से है और मीणा जाति हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम से शासित नहीं होती है अर्थात् मीणा समुदाय पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। जो अधिनियम की धारा 2 (2) के तहत विधि वर्जित माना गया है।वकील रेस्पो. ने इस संबंध न्यायिक दृष्टांत आरआरटी2024(2) पेज 887 पेश की। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की प्रथम अपील कानूनन् चलने योग्य नहीं थी एवम् अधिनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी महोदय, आहोर द्वारा प्रथम दृष्टया म्याद बाहर अपील होने से म्याद के बिन्दु पर ही निर्णित कर अपना निर्णय पारित किया गया है वह कानूनन् उचित व न्यायोचित है।

वर्तमान अपील में अपीलार्थीगण द्वारा प्रचलित रीति–रिवाजों व रुढ़ी का उल्लेख करते हुये अपील पेश की गई है। जबकि अपीलार्थीगण द्वारा अपने अपील के प्लीडिंग्स के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

29.10.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

पुत्रीयों को मीणा समुदाय में पुत्रों के समान हक व अधिकार प्राप्त होते हो ऐसे किसी समाज के बही या जातिगत निर्णय का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे उक्त प्रचलित रूढ़ीगत प्रथा के तहत पुत्रीयों को पुत्रों के समान हक अधिकार प्राप्त होते हो।

नामान्तरण संख्या 50 तत्कालीन ग्राम पंचायत, आहोर द्वारा विधिनुसार पंचायत कोरम में प्रस्ताव लेने के पश्चात् पंचगणों व अन्य जन समुदायों की उपस्थिति में विधिनुसार सुनवाई कर प्रस्ताव पारित किया गया एवम् उक्त प्रस्ताव की पालना में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण संख्या 50 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि विधिनुसार नहीं है। इस कारण उक्त अपीलार्थीगण की अपील किसी भी स्तर पर स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अपीलार्थीगण का जैर अपील में वर्णित विवादित भूमि पर कभी भी कोई कब्जा–काश्त मौके पर नहीं रही है एवम् न ही किसी प्रकार का कानूनन् हक अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में कब्जे व कानूनी हक–अधिकार के अभाव में अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने की हक अधिकारिणी नहीं है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 03 धन्नाराम की मृत्यु से पूर्व एवम् उसकी मृत्यु के बाद सामाजिक रीति–रिवाज सम्पन्न करवाने हेतु अपीलार्थीगण अपने पीहर, आई थी एवम् धन्नाराम के फौतेदगी नामान्तरण के जरिये उनके वारिशान् के नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में भी उनको पूर्ण जानकारी रही है एवम् उक्त नामान्तरणकरण में भी इनके द्वारा कोई एतराज जाहिर नहीं करते हुये अपनी मौखिक रूप से सहमति दी गई थी। लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि की कीमत बढ़ने से एवम् लोगों के बहकावे में व लोभ लालच में आकर केवल मात्र रेस्पोडेण्ट संख्या 03 के वारिशान् को तंग व परेशान करने एवम् उनको अपने विधिक हक–अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से अपना अविधिपूर्ण हिस्सा बताकर भूमि हड़प करने की दुर्भावना से अधिनस्थ न्यायालय व श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो अपील किसी भी रूप से कानूनन् स्वीकार करने योग्य नहीं है।

7. हमने उपस्थित पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालयो की पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पाया गयाकि प्रकरण में हस्तगत द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा उनके समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा म्यूटेशन संख्या 50 दिनांक 09.05.1990 को पारित किया जिसके विरूद्ध प्रथम म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधि. 1956 में अधिनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक 18.01.2024 के विरूद्ध पेश कि गई है।

प्रकरण में मृतक पालाजी की मृत्यु होने के उपरान्त अपीलाण्टस एवं रेस्पो. स. 3 के नाम दर्ज किये जाने चाहिए थे जबकि रेस्पो.स. 3 अकेले के नाम ना.स. 50 वर्ष 1990 में दर्ज किया गया था। जिसके विरूद्ध मृतक पालाजी की दो पुत्रियों दलु रावत, खुमीदेवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी, आहोर द्वारा निर्णय दिनांक 18.01.2024 पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को न तो नोटिस दिया एवं न ही सुनवाई का मौका दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

किसी प्रकार की कस्टम, रिवाज इत्यादि के संबंध में कोई जांच नही की गई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने 18.1.2024 में अभिनिर्धारित किया कि अपील 32 वर्ष पश्चात पेश की है इसलिए मियाद बाहर है । जबकि पुत्रियां भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। एवं मृतक की सम्पति में समस्त जायंदा पुत्रीयो व पुत्र का भी समान हक हिस्सा है। जबकि ना.स.50 अकेले रेस्पो. स. 3 धनाराम के पक्ष में तस्दीक करना विधिक नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के देरीना से प्रस्तुत होने बाबत गुणावगुण पर विचार कर डिले कन्डोन करनी चाहिए थी। जबकि ऐसा नही किया आदेश विधि सम्मत नही है। प्रकरण विधिक उत्तराधिकार के संबंधित है। जिसमें अपने विधिक हको की मांग किसी भी समय की जा सकती है। अतः इस प्रकरण में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के मियाद बिन्दु के आधार पर निरस्त करना गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को ध्यान पूर्वक सुना गया नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज करने के पश्चात संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है। न ही अपीलाण्ट को सी पी सी के विधिक प्रावधानो के अनुसार सुना गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आहोर, प्रकरण संख्या 17/2021 बअनवान दलु रावत बनाम सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्र.प., पावटा वगैरा निर्णय में निर्णय दिनांक 18.01.2024 को अपास्त किया जाता है। एवं नामान्तरकरण संख्या 50 दिनांक 09.05.1990 को खारीज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, आहोर को इन दिशा निर्देशो के साथ पुनः प्रतिप्रेषित(रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने एवं परीक्षण करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

29.10.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29.10.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

29.10.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)